सं1813/नौ–7–14–10जी./2013

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

नगर आयुक्त
नगर निगम,
कानपुर।

नगर विकास अनुभाग–7

लखनऊ दिनांक 01 नवम्बर 2014

विषयः नगर निगम के नाम निर्दिष्ट / नामित सदस्यो के मताधिकार के संबध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–88/14–15/क, दिनांक 16.10.2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा रिट याचिका संख्या 45120/14 विकास शर्मा बनाम राज्य व अन्य मे दिनाक 28.08.2014 को पारित मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश की प्रति उपलब्ध कराते हुए उसे नगर निगम कानपुर मे लागू किये जाने के संबध मे मार्ग दर्शन दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. उल्लेखनीय है कि अधिसूचना संख्या–476/सात–वि.–1–1(क)15–2005, दिनाक 24 मार्च, 2005 द्वारा नागर निकायों में नामित पार्षदों को मत देने के अधिकार को भारत के संविधान के अनुच्छेद–243आर. मे दी गयी व्यवस्था के प्रतिकूल पाते हुए मा. उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 45120/14 मे पारित आदेश दिनाक 28.08.2014 द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि नगर निगम बरेली के नामित पार्षद, निगम की बैठकों मे भाग ले सकते हैं, किन्तु उन्हे मत देने का अधिकार नहीं होगा। समान प्रकृति के आदेश मा. उच्च न्यायालय मे दाखिल विभिन्न रिट याचिकाओ संख्या–37391/14 एवं 49610/13 में भी दिये गये हैं। इस प्रकार मा. उच्च न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया उपरोक्त अधिसूचना दिनाक 24.03.2005 में की गयी व्यवस्था को भारत का संविधान के अनुच्छेद–243आर. के प्राविधानों के विपरीत पाया गया है।

3. अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यो के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त रिट याचिकाओं में पारित मा. उच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में नगर निगम मे नगर निगम अधिनियम, 1959 की संगत धारा के नाम निर्दिष्ट सदस्यो को नगर निगम की बैठको मे भाग लेने का अधिकार है परन्तु उसमे उन्हे मत देने का अधिकार नही होगा। कृपया तद्नुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे।

भवदीय,
01/11/2014
(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
3. कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

so nagarvikas@gmail.com